FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–2, नीम का थाना (राज.)

गीता देवी बनाम मुनेश महला वगैरह

मोटर एक्सीडेंट क्लेम संख्या–89/22 बी.टी. 88/33, सी.आई.एस. नम्बर–89/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित । अनावेदक संख्या–3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.04.2023 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक बीमा कम्पनी का यह तर्क रहा है कि दुर्घटना में लिप्त मोटरसाईकिल का इन्द्राज थाना उदयपुरवाटी के रोजनामचा दिनांक 12.02.2022 में नहीं है। मृतक राजेन्द्र की मृत्यु साण्ड के द्वारा हिट करने से हुई है । इन परिस्थितियों में बीमा कम्पनी द्वारा प्रकरण को एस .आई.टी. राजस्थान पुलिस हैडक्वार्टर, जयपुर को गहनता से जाँच हेतु सुपुर्द किया गया है । अतः एस.आई.टी. की रिपोर्ट आने तक प्रकरण की सुनवाई लम्बित रखने का निवेदन किया गया । विद्वान अधिवक्ता आवेदिका द्वारा लिखित में जवाब पेश नहीं कर मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया । आवेदिका द्वारा हस्तगत याचिका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–166/140 के तहत क्षतिपूर्ति के अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई है । अनावेदक बीमा कम्पनी का यह कथन है कि मृतक की मृत्यु साण्ड द्वारा हिट करने से हुई है । अनावेदक उपरोक्त तथ्यों बाबत् अपने जवाब में अभिवचन प्रस्तुत कर सकता है तथा विचारण के दौरान अनावेदक बीमा कम्पनी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त होगा । एस.आईटी. द्वारा जो भी जाँच रिपोर्ट दी जाती है वह अनावेदक विधि अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । जाँच रिपोर्ट आने तक प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किए जाने का	

	कोई विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इन परिस्थितियों में अनावेदक बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब याचिका दिनांक 26.10.23 को पेश हो ।	